

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020—भाद्रपद 13, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक ई 1-09/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019 बैच के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन भा.प्र.से. अधिकारियों की निम्नानुसार नवीन पदस्थापना की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ललितादित्य नीलम	सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री नम्रता जैन	सहायक कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	सहायक कलेक्टर, जिला-रायपुर
3.	सुश्री रेना जमील	सहायक कलेक्टर, जिला-कांकेर	सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर
4.	श्री विश्वदीप	सहायक कलेक्टर, जिला-कोरिया	सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2020

क्रमांक एफ 1-01/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अतुल कुमार शुक्ला (1986)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.
2.	श्री पी.व्ही. नरसिंग राव (1987)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
3.	श्री राजेश कुमार चंदेले (2003)	वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुंठपुर.	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
4.	श्री मणिवासगन एस. (2009)	वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल.	वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़.
5.	श्री ईमोतेसु आओ (2010)	संचालक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर.	वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुंठपुर.
6.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय (2012)	वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़.	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री प्रणय मिश्रा (2013)	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर.	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
8.	श्री गणवीर धम्मशील (2013)	उप सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति पर).	वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल (प्रतिनियुक्ति से सेवाएं वापस लेते हुए)
9.	श्री लक्ष्मण सिंह (स.व.सं.)	उप प्रबंधक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर.	प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर.

मैदानी क्षेत्र में पदस्थ होने वाले अधिकारी तत्काल अपनी उपस्थिति नवीन पद पर देना सुनिश्चित करें.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक एफ 1-01/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री पी. सी. पाण्डेय (1987)	प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
2.	श्री एस. एस. बजाज (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर.	अपर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर).
3.	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.
4.	श्री एस. एस. डी. बड़गैय्या (1996)	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर
5.	श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रायपुर वृत्त, रायपुर.
6.	श्री जनक राम नायक (2001)	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर
7.	श्री विवेक आचार्य (2006)	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर)

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007)	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर.	वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली.
9.	श्री अभिषेक कुमार सिंह (2009)	उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	उप सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थापना हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौंपी जाती है.
10.	श्री रंगानाथा रामाकृष्णा वाय. (2015).	संभागीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि. नवा रायपुर, अटल नगर (वन्यप्राणी प्रशिक्षण पर).	संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर (प्रशिक्षण से वापस आने पर).
11.	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन (2015).	उप संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद.	संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर.
12.	श्री मनीष कश्यप (2015)	वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार, बिलासपुर.	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर.
13.	श्री कुमार निशांत (2016)	वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली.	वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.
14.	श्री आयुष जैन (2017)	सहायक संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर.	उप संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद.
15.	श्री मयंक पाण्डेय	संलग्नाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल, महासमुंद.	वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल, महासमुंद.
16.	श्री सत्यदेव शर्मा	संलग्नाधिकारी बिलासपुर, वनमण्डल, बिलासपुर.	वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार, बिलासपुर.
17.	श्री श्रीनिवास तन्नेटी	प्रभारी अधिकारी, आरेंज एरिया इकाई क्र.-1, रायपुर वनमण्डल (वन्यप्राणी प्रशिक्षण पर).	उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
18.	श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय	अनुदेशक, वन विद्यालय, सक्ति, जांजगीर-चांपा वनमण्डल.	उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर).
19.	श्री संजय कुमार यादव	उप वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा	उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).
20.	श्री अशोक कुमार पटेल	संलग्नाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर	संचालक, कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर.
21.	श्रीमती शमा फारूकी	प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा.	वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा.

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	श्रीमती प्रेमलता यादव	संलग्नाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा	वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, जांजगीर-चांपा.
23.	श्रीमती दिव्या गौतम	अनुदेशक, वन विद्यालय, जगदलपुर	संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर.

2. मैदानी क्षेत्र में पदस्थ होने वाले अधिकारी तत्काल अपनी उपस्थिति नवीन पद पर देना सुनिश्चित करें.

3. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-06-2020 द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है. उक्त आदेश के सरल क्रमांक-2 में श्री पी. व्ही. नरसिंग राव (1987) के सम्मुख वर्तमान पदस्थापना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर उल्लेखित हैं, के स्थान पर उनकी वर्तमान पदस्थापना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-7/2020/रोज.वि./42.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रुपये मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे-5400/-) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	उम्मीदवार का नाम (2)	पदस्थापना स्थल (3)
1.	कु. खुशबू पवार/पिता श्री बसंत राव पवार, ग्राम व पोस्ट-भैंसा, थाना-खोरोरा, तह. आरंग, जिला-रायपुर.	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर
2.	कु. दुर्गेश्वरी सिंह/पिता श्री रामबिहार सिंह, हनुमान मंदिर, पोंडीबहार चौक, कोरबा, जिला-कोरबा.	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जशपुर.
3.	श्री दिवाकर लाल टांडिया/पिता स्व. कीर्तिन लाल टांडिया, ग्राम-कोलिहामुड़ा, पो. जवाली, तह.-कटघोरा, जिला-कोरबा.	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर.
4.	श्री रामचरण ध्रुव/पिता श्री शंकरलाल ध्रुव, ग्राम-मौहामड़वा पो. खैरवार (बैरागी), तह. व थाना-मुंगेली, जिला-मुंगेली.	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सुकमा.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का

भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

- (ग) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
- (घ) चयनित प्रत्याशियों को अपना चिकित्सकीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण-पत्र, चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.
- (ङ) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है. अतः जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित प्रत्याशी को अंडरटेकिंग नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.
- (च) आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.
- (छ) कु. खुशबू पवार, रोजगार अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन कराने के उपरांत ही संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में कार्यभार ग्रहण किया जावेगा.
- (ज) चयनित प्रत्याशियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रवीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोतीराम खूंटे, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2020

क्रमांक एफ 6-67/2018/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में राज्य कर सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर अधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य कर सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर अधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400) में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना राज्य कर सहायक आयुक्त (परिवीक्षाधीन) के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	सुश्री रागिनी सिंह, पिता श्री मिथिलेश सिंह सेंगर, हाउस नं. 19/1, मियापारा व नागवंशीपारा, सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) 497111.	अनारक्षित	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-2, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	2	सुश्री पूर्वा गुप्ते पिता श्री अनिल प्रभाकर राव गुप्ते, प्रभात चश्में की दुकान, चांटापारा, तिलक नगर, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.	अनारक्षित	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-1, जिला-रायपुर (छ.ग.).
3.	3	श्री सागर वर्मा पिता श्री संतोष कुमार वर्मा, मकान नं. 192, ग्राम-तोर, पोस्ट-बरबांदा, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111.	अ.पि.वर्ग	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-1, जिला-दुर्ग (छ.ग.).
4.	4	श्री आशीष कुमार मंडावी पिता श्री दुखूराम मंडावी, ग्राम-मानिकपुर, पोस्ट-बुदेली, तहसील-नरहरपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) 494335.	अनु.जाति	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-3, जिला-रायपुर (छ.ग.).
5.	5	श्री आशुतोष भोई, पिता-श्री श्रीधर भोई, ग्राम-पिपरौद, पोस्ट-सांकरा (जोंक), तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.) 492112.	अनु.जनजाति	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-9, जिला-रायपुर (छ.ग.).
6.	6	सुश्री कविता ठाकुर, पिता-श्री ओंकार सिंह ठाकुर, एसई 339, सीएसईबी कॉलोनी, कोरबा पूर्व जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677.	अनु.जनजाति	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-1, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).
7.	7	सुश्री श्रुति सोनी, पिता श्री ईश्वरी प्रसाद सोनी, मकान नं. 10/172, बेरियर रोड, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495671.	अ.पि.व.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-1, जिला-कोरबा (छ.ग.).

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.
- (b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारी अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेंगे.
3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.
4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.
5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उनकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.
7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय “मेडिकल बोर्ड” से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा की गई कार्य अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. “मेडिकल बोर्ड” द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित राज्य कर सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर अधिकारी) के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा के पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.
10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.
11. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.
12. चयनित अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.
13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक एफ 20-47/2020/ग्यारह/(छै:).—शासन द्वारा राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क की स्थापना करायी जा रही हैं, साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-8 की कंडिका-6 में यह निर्देशित किया गया है कि “औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाह्य उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के माध्यम से आबंटित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रचलित भू-हस्तांतरण शुल्क में कमी की जायेगी एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावेगा.”

अतएव, राज्य शासन एतद्वारा “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015” के प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था लागू करता है :—

- (1) राज्य में स्थापित तथा स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों (चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें) में उद्योगों को भूमि आबंटन का कार्य, नियमावली की कंडिका 2.7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऑनलाईन प्रणाली के द्वारा किया जावेगा. इस हेतु सीएसआईडीसी के द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से तथा वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर नियमानुसार निराकृत किया जावे.

साथ ही सीएसआईडीसी की उपरोक्त वेबसाइट विभागीय वेबसाइट www.Industries.cg.gov.in के माध्यम से भी संपर्कित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यथा आवश्यकता उक्त वेबसाइट को समय-समय पर उन्नत किये जाने की व्यवस्था सीएसआईडीसी के द्वारा की जावेगी।

- (2) उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएसआईडीसी) के द्वारा नियंत्रित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, प्रबंधन एवं संधारण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एकल एजेंसी के रूप में एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा।
- (3) राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में (वर्तमान में उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नियंत्रित) भूमि आबंटन से संबंधित समस्त कार्य मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में किया जायेगा। इस हेतु राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के भूखण्डों को सीएसआईडीसी द्वारा विकसिल पोर्टल के माध्यम से/विकसित वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन प्रणाली पर एक माह के भीतर दर्ज कर किया जायेगा।
- (4) सीएसआईडीसी द्वारा राज्य के सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी को एक सप्ताह के भीतर जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंडों के आबंटन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक आईडी एवं पासवर्ड जारी किये जायेंगे। समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले से संबंधित सभी वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के अभिलेख सीएसआईडीसी के साथ समन्वय कर यथा आवश्यकता आदान प्रदान की कार्यवाही एक माह के भीतर प्रणाली का सुचारू संचालन अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत अध्याय-3 में वर्णित भूमि का आबंटन पश्चात नियमन एवं प्रबंधन (अभिहस्तांकन, हस्तांतरण, निरस्तीकरण, अपील एवं अन्य सभी प्रावधान) यथावत् प्रशासित प्रणाली के अनुसार आबंटन प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराये जायेंगे।
- (6) लैण्ड बैंक से संबंधित भूमि के आबंटन एवं भवन आबंटन पश्चात् किये जाने वाले सभी कार्य यथावत् सीएसआईडीसी के द्वारा सम्पन्न किये जावेंगे। सीएसआईडीसी के मैदानी कार्यालयों में भूमि आबंटन से संबंधित पदस्थ अधिकारियों को यथा आवश्यकता प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के कार्यालय में पदस्थ किया जावे।
- (7) उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन/संचालन संबंधी विषयों पर किसी प्रकार की व्यवस्था से संबंधित विषय पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय तथा प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा आपसी समन्वय से निर्णय लिये जा सकेंगे। यथा आवश्यकता विषय शासन को संदर्भित किये जाने पर शासन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव।

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक 328/एफ 1-5/2018/13/1.—राज्य शासन एतद्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कंडिका 76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती उज्ज्वला बघेल, महिला डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग/ जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आगामी आदेश तक के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में अस्थायी रूप से पदेन महिला डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक 330/एफ 1-5/2018/13/1.—राज्य शासन एतद्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कंडिका 76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आलोक सिंह, महाप्रबंधक (वित्त), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आदेश जारी होने की तिथि से उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में अस्थायी रूप से पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक 332/एफ 1-5/2018/13/1.—राज्य शासन एतद्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कंडिका 76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर. एस. ठाकुर, कार्यपालक निदेशक (सी.पी. एण्ड बी.डी.), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आदेश जारी होने की तिथि से उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में अस्थायी रूप से पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक 334/एफ 1-5/2018/13/1.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-02/2020/एक-2 दिनांक 16-03-2020 द्वारा श्री गौरव द्विवेदी (भा.प्र.से.) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाइन परियोजनाएं), ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थायी रूप आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

2. अतः श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग जिन्हें विभाग के आदेश क्रमांक 167/एफ 1-1/2019/13/1 दिनांक 31-01-2019 द्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (पूर्व में इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड) में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 16-03-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 76(ii) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक 336/एफ 1-5/2018/13/1.—इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (वर्तमान में उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड) के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 76 एवं 91 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1200/एफ-1-5/2018/13/1 दिनांक 03-07-2019 से उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में डायरेक्टर एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था।

2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा सभी पावर कंपनियों के अध्यक्ष एवं डायरेक्टर के पद से पदमुक्त होने हेतु सौंपे गये त्यागपत्र दिनांक 16-03-2020 को स्वीकार करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (वर्तमान में उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड) के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 76(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शैलेन्द्र शुक्ला को इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (वर्तमान में उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड) के डायरेक्टर एवं अध्यक्ष पद से भारमुक्त किया जाता है।

3. राज्य शासन एतद्वारा उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (पूर्व में इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड) के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 76 एवं 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत साहू (भा.प्र.से.) को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए अस्थायी रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में डायरेक्टर तथा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है।

4. यह आदेश जारी होने के तारीख से प्रभावशील रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार भार्गव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2020

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-02/2020/32.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-02-2020 द्वारा बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिल्हा निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित करने संबंधी है, के उत्तर एवं पूर्व में ग्राम “मोहनभट्टा” के स्थान पर “मोहभट्टा” पढ़ा जाये.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1.	जिला जांजगीर-चाम्पा	—	1.	राहौद निवेश क्षेत्र
2.	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	—	1.	वाड्डफनगर निवेश क्षेत्र
3.	जिला रायगढ़	—	1.	धरमजयगढ़ निवेश क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अगस्त 2020

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6)52.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 1410/1690/2020/1-5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19-07-2020 के तहत् संलग्न सूची अनुसार ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत उपक्रम छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड में श्री चंदन कश्यप को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

2. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चंदन कश्यप को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अगस्त 2020

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6)52.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 1410/1690/2020/1-5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19-07-2020 के तहत् संलग्न सूची अनुसार ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत उपक्रम छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में श्री राजेन्द्र तिवारी को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

2. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र तिवारी, को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 4 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	तालेसर	0.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	रानीडोंगरी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	कोरासी	0.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पीपरछेड़ी जलाशय योजना अंतर्गत माईनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 4 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/04/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	कोरासी	3.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोरासी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/03/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	मडेली	1.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोरासी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/05/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	खैरझिटी	2.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोरासी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य तटबंध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/06/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	कोठीगांव	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोठीगांव जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/07/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	घोटपानी	0.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोठीगांव जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/08/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	मडेली	2.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोरासी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य तटबंध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छतर सिंह डेहरे, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरिया, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्रमांक/6557/वाचक/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	बरैल प.ह.नं. 21	0.608	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	मन्दोलिया व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्रमांक/6558/वाचक/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	मन्दोलिया प.ह.नं. 21	2.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	मन्दोलिया व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्रमांक/6559/वाचक/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	खेतौली प.ह.नं. 19	0.666	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	शैलापटपर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शाखा नहर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 जून 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2018-2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	आमापाली प.ह.नं. 14	1.107	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	ग्राम आमापाली से टोहिलाकुण्डा मार्ग में केलो नदी पर पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 जनवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बेलडेगी प.ह.नं. 23	1.013	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियाबथान जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 23 मार्च 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कांसाबेल	माकरचुवां प.ह.नं. 26	2.264	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी एनीकट योजना की मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक 4471/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं. 30	4.26	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. चांपा संभाग, चांपा.	शि. ना. बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	धौराभाठा प.ह.नं. 13	9.095	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के वितरक एवं माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहदा प.ह.नं. 13	10.206	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2020

क्रमांक 01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

22/1	0.045
23	0.081
26	0.020
25	0.069
29/8	0.061
29/5	0.036
29/3	0.097
29/6	0.016
29/7	0.162

अनुसूची

योग

9

0.587

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-हिर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.587 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2020		(1)	(2)
क्रमांक 03/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		59/2	0.012
		57/4	0.012
		60/1	0.061
		60/7	0.040
		50/10	0.040
		50/4	0.028
		50/11	0.036
		50/7	0.045
		79/3	0.012
		290/2	0.089
		79/4	0.008
		79/10	0.020
		79/2	0.101
अनुसूची		78/2ख	0.097
(1) भूमि का वर्णन—		80	0.089
(क) जिला-बिलासपुर		81/1	0.085
(ख) तहसील-बिल्हा		82/1	0.053
(ग) नगर/ग्राम-भोजपुरी		83	0.162
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.141 हेक्टेयर		303/8	0.004
खसरा नम्बर	रकबा	303/9	0.081
	(हेक्टेयर में)	303/7	0.089
(1)	(2)	298	0.049
13/1	0.049	302/2	0.073
60/3	0.004	297/1	0.129
13/2	0.036	296/1	0.081
13/6	0.036	296/2	0.089
28/1	0.061	284	0.057
28/2	0.040	273/2	0.020
14	0.142	282/2	0.121
282/1	0.053	278/1	0.121
11/1	0.036	269/2	0.129
30/7	0.028	312/1	0.081
30/8	0.012	312/3	0.061
30/2	0.012	276/2	0.024
30/5	0.008	276/1	0.121
29/2	0.162	275	0.141
303/5	0.085	274	0.101
29/1	0.016	312/2	0.077
79/1	0.101	30/6	0.032
301	0.012		
24/2	0.073	योग	66
56/1	0.089		4.141
59/1	0.101		
58/4	0.012	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अरपा भैंसाझार	
56/3	0.121	बैराज परियोजना के अन्तर्गत भोजपुरी वितरक 1, भोजपुरी वितरक	
59/3	0.004	2 एवं डोकलाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.	
56/2	0.141	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
58/2	0.036	(राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2020

(1)

(2)

क्रमांक 07/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-पेण्डरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.690 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

453/1

0.122

436

0.012

44,

0.012

45

0.045

452

0.069

450,

0.016

451

0.016

449

0.162

473,

0.073

474,

0.069

475

0.012

464/1

0.049

464/2

0.073

470

0.008

478/2ख

0.008

84/2

0.032

491/1

0.032

489/2

0.008

489/1

0.008

493/1

0.008

493/2

0.008

77/2

0.057

512

0.032

513/1

0.032

516

0.032

515/1

0.032

514

0.032

50

0.174

492

0.012

494/1

0.008

477

0.045

472/2

0.053

46,

0.073

47

0.012

49

0.040

77/1

0.113

78/2

0.032

84/1

0.040

84/3

0.081

85

0.121

437

0.057

79

0.089

441/1,

0.065

441/2

0.024

479/2

0.016

443/1क,

0.016

443/2क,

0.016

443/3क

0.016

443/1घ,

0.016

443/2घ,

0.016

443/3घ

0.012

443/1ड,

0.012

443/2ड,

0.012

443/3ड

0.020

444/2

0.012

444/1

0.049

439/7

0.101

435/5,

0.121

439/10

0.049

435/1

0.093

435/3

0.093

435/4

0.093

योग

62

2.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5111/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-बलौदा
(ग) नगर/ग्राम-बलौदा, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.291 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
986/1	0.101
862	0.016
357/1	0.012
181/1	0.081
182/1	0.081

योग	05	0.291
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बलौदा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5113/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-अकलतरा
(ग) नगर/ग्राम-बूचीहरदी, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/2	0.235
172/1	0.081
योग	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बलौदा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5458/07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		158/4	0.06
(क) जिला-जांजगीर-चांपा		158/3	0.05
(ख) तहसील-चांपा		158/2	0.21
(ग) नगर/ग्राम-दारंग		163/5, 164/5	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 एकड़		163/4, 164/4	0.03
योग		6	0.43
खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)		
932/1	0.03		
934/1	0.04		
932/2	0.04		
934/2	0.03		
योग	2	0.14	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत पेटफोरवा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5460/03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-			
(क) जिला-जांजगीर-चांपा			
(ख) तहसील-चांपा			
(ग) नगर/ग्राम-दारंग			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 एकड़			
खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)		
153/1	0.05		

(1)

(2)

158/4

0.06

158/3

0.05

158/2

0.21

163/5, 164/5

0.03

163/4, 164/4

0.03

योग

6

0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत दारंग माईनर नंबर 02 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5462/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-			
(क) जिला-जांजगीर-चांपा			
(ख) तहसील-चांपा			
(ग) नगर/ग्राम-दारंग			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 एकड़			
खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)		
47	0.08		
219/1	0.05		
योग	2	0.13	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत पोड़ीखुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जून 2020

अनुसूची

प्रकरण क्रमांक 5464/05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-हराभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
219/2	0.04
योग	1
	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत पोड़ीखुर्द माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 5466/06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
208/7	0.10
योग	1
	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सुंदरली शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 23 मार्च 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगान्वा
- (ग) नगर/ग्राम-जामझोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.667 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		170/2	0.049
		73/2	0.049
330/8	0.057	129	0.041
364/1	0.105	130	0.044
364/2	0.202	81	0.120
373/2	0.150	247	0.082
369	0.117	75	0.100
330/21	0.036	74	0.008
योग	06	125	0.093
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरानाला जलाशय योजना की मनोहरपारा शाखा नहर क्र. 04 का भू-अर्जन प्रकरण.		128	0.097
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.		166	0.051
		119/2	0.053
		131	0.090
		251/1	0.081
		168	0.117
		171	0.316
जशपुर, दिनांक 23 मार्च 2020		147	0.101
		170/1	0.052
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		183/1	0.034
		183/2	0.070
		181	0.067
		185	0.060
		189	0.050
		205	0.110
		206	0.080
अनुसूची		187	0.033
		132	0.030
(1) भूमि का वर्णन—		146/3	0.012
(क) जिला-जशपुर		248	0.009
(ख) तहसील-पत्थलगांव		177	0.132
(ग) नगर/ग्राम-जमरगी (झिंगरेल)		69/2	0.095
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.789 हेक्टेयर		70	0.092
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	
(1)	(2)	36	2.789
69/1	0.105	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना की दौयी तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.	
73/1	0.049	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.	
78	0.120		
169	0.097		

जशपुर, दिनांक 23 मार्च 2020

जशपुर, दिनांक 23 मार्च 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-बनगाँव “बी”
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123/1	0.069
59/2	0.117
123/3	0.077
123/2	0.085
195	0.101
184/1	0.045
190	0.089
134/1	0.073
194	0.109
योग	0.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के बॉयी तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1323	0.016
1324	0.129
1311	0.008
1312	0.049
1325	0.129
1291	0.081
1328	0.049
1276	0.057
1238	0.202
1283	0.004
1277	0.073
1274	0.113
1266	0.121
1267	0.057
1234	0.065
1237	0.101
1235	0.081
1227	0.113
योग	1.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के अन्तर्गत बड़ा झिंगरेल माईनर नं. 04 का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 4 मई 2020

जशपुर, दिनांक 4 मई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पथलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पेमला (राईडांड)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.553 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
602	0.170
781	0.004
390	0.028
389	0.097
800	0.028
326/1	0.146
314	0.004
382	0.040
381	0.028
379	0.008
योग	10 0.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के दौंयी तट राईडांड उप शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पथलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पेमला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1356	0.202
1390	0.113
1391	0.081
1392	0.138
1397	0.049
योग	05 0.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के अन्तर्गत माईनर क्र. 06 का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 503/रिसदा/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रिसदा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है।

अनुसूची

रिसदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम रिसदा की उत्तरी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम रिसदा, ढाबाडीह एवं पुरान की पश्चिमी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम ढाबाडीह, पुरान एवं रिसदा की दक्षिणी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम पुरान एवं रिसदा की पूर्वी सीमा तक.

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 505/दामाखेड़ा/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है।

अनुसूची

दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम दामाखेड़ा एवं किरवई की उत्तरी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम किरवई एवं धोबनी की पश्चिमी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम धोबनी एवं दामाखेड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम दामाखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 507/हिरमी/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिरमी निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी

जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

हिरमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :	ग्राम सकलोर एवं कुथरौद की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में :	ग्राम कुथरौद एवं हिरमी की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में :	ग्राम हिरमी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में :	ग्राम हिरमी एवं सकलोर की पूर्वी सीमा तक.

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 509/रावन/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रावन निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

रावन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :	ग्राम रवेली, झिपन एवं रावन की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में :	ग्राम झिपन की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में :	ग्राम झिपन एवं रावन की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में :	ग्राम रावन एवं रवेली की पूर्वी सीमा तक.

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 511/सोनाडीह/नग्रानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सोनाडीह निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

सोनाडीह निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :	ग्राम सोनाडीह की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में :	ग्राम सोनाडीह एवं रसेड़ा की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में :	ग्राम रसेड़ा एवं रसेड़ी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में :	ग्राम रसेड़ी एवं सोनाडीह की पूर्वी सीमा तक.

बलौदाबाजार, दिनांक 28 मई 2020

क्रमांक 513/रवान/नगानि/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रवान निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है।

अनुसूची

रवान निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम रवान एवं अर्जुनी की उत्तरी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम अर्जुनी एवं खैरताल की पश्चिमी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम खैरताल, भद्रापाली एवं रवान की दक्षिणी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम रवान की पूर्वी सीमा तक.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक 101/दो-3-13/2007.—श्री नूरदीन तिगाला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर दिनांक 31-05-2020 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक 102/दो-3-41/2007.—श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग दिनांक 31-05-2020 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 200 (दो सौ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है।

Bilaspur, the 11th August, 2020

No. 579/Confdl./2020/II-3-14/2000 (Pt.-III).—On the application of Shri Prafull Sonwani, Member of Higher Judicial Service, presently posted as I Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar, he is hereby, permitted to change his name as “Prafull Kumar Sonwani” in place of “Prafull Sonwani”. It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By Order of Hon’ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्रमांक 123/दो-3-4/2014.—श्री हेमन्त सराफ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-06-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, लेखाधिकारी.